

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर
पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024
प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनिल वर्मा
2. पिता/पति : उज्जैन सिंह वर्मा
3. वर्ग : अन्य पिछड़ा वर्ग
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242607

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024

7. परीक्षा का समय : अपराह्न 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा, कल्या महाविद्यालय,
कचहरी चौक, बाल आश्रम, रायपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


सूचनाधिक,
भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़
रायपुर

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : प्रदीप कुमार मिश्रा
2. पिता/पति : शशिधर मिश्रा
3. वर्ग : अन्तरहित
4. जिला : खैरागढ़-छत्तीसगढ़ गड्डा
5. रोल नम्बर : 242608

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकार्यें

6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपराह्न 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा, कन्या महाविद्यालय,
कचहरी चौक, बाल आश्रम, रायपुर (छ.ग.)

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।

संचालक,

भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़
रायपुर

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : तन्मोहकुमार कुमार् निर्मल
2. पिता/पति : टेकराम निर्मल
3. वर्ग : अल्प विद्या वर्ग
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242609

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम रायपुर (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


सचिव

भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़
रायपुर

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : बीरज तिवारी

2. पिता/पति :

बीलेन्द्र तिवारी

3. वर्ग :

अन्तरिक्षित

4. जिला :

राजनांदगाँव

5. रोल नम्बर

242610

6. परीक्षा का दिनांक

07/01/2024

7. परीक्षा का समय

अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम :

श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय
कचहरी चौक, बाल आश्रम रायपुर (छत्तीसगढ़)

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें


संयोजक,
भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़
रायपुर

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : पंकज सिंह
2. पिता/पति : अशोक सिंह
3. वर्ग : अनारक्षित
4. जिला : राजनांदगांव
5. रोल नम्बर : 242611

पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकार्यें

6. परीक्षा का दिनांक : 07/01/2024
 7. परीक्षा का समय : अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक
 8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास शागा कन्या महाविद्यालय
कुछहरी चौक, बाल आश्रम रायपुर (छत्तीसगढ़)
- परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

- * परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।
- * सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।
- * केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।
- * परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।
- * राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।
- * प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।
- * परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।
- * ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।


सूचनाधिक
भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़
रायपुर

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर

पटवारियों का राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु विभागीय चयन परीक्षा 2024

प्रवेश-पत्र

1. प्रशिक्षणार्थी का नाम : अनुपम आनंद बखशी

2. पिता/पति : प्रभात बखशी

3. वर्ग : अन्तराक्षित

4. जिला : राजनांद गांव

5. रोल नम्बर 242612

6. परीक्षा का दिनांक 07/01/2024

7. परीक्षा का समय अपरान्ह 02:00 बजे से 03:30 तक

8. परीक्षा केन्द्र का नाम : श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय

परीक्षार्थियों के लिए विशेष निर्देश :- कचहरी चौक, बाल आश्रम, रायपुर (छत्तीसगढ़)

* परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा ।

* सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा ।

* केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी सेवा 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यदि किसी अभ्यर्थी को पटवारी प्रशिक्षण उपरांत बिना परीक्षा उत्तीर्ण किये पटवारी के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गयी थी तथा परीक्षा पास करने के उपरांत पटवारी के पद पर नियमित नियुक्ति दिये जाने के पूर्व कुछ समय के लिए सेवा से पृथक किया गया हो तो सेवा से पृथक अवधि 5 वर्ष की सेवा अवधि की गणना में शामिल नहीं होगी ।

* परीक्षा परिणाम के आधार पर राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करने के उपरांत भी 5 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने पर प्रशिक्षण के लिये चयन नहीं किया जावेगा ।

* राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद निलंबन/विभागीय जांच/आपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण लंबित होने पर या इन प्रकरणों में प्रतिकूल आदेश होने की स्थिति में राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये गठित विभागीय पदोन्नति समिति, शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेगी ।

* प्रशिक्षणार्थी द्वारा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाये जाने पर वह राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए अपात्र होगा ।

* परीक्षा के दौरान मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (सामान्य केलकूलेटर को छोड़कर) का उपयोग परीक्षा कक्ष में वर्जित रहेगा ।

* ओ.एम.आर. शीट में गोले लगाने हेतु केवल नीले/काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग किया जावेगा ।

* ओ.एम.आर. शीट में किसी भी प्रकार की काट-छांट एवं एक प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प पर गोला लगाने पर उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जावेगा ।

* ओ.एम.आर. शीट में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, नाम, रोल नम्बर अंकित न करें ।

सूचक
भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़
रायपुर